य उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

NO.-2024/188

नम्बर–55 / 2024

1. रमेश चन्द्र शर्मा आयु 67 वर्ष पुत्र स्व0 गोरधन लाल जी जाति ब्राहम्ण निवासी– प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3 सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा राज0
2. ललिता शर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा आयु 65 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी– प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3, सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा आयु 42 वर्ष जाति ब्राहम्ण
2. ज्योति पत्नी श्री महावीर आयु 40 वर्ष जाति ब्राहम्ण
3. रामावतार पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा आयु 38 वर्ष जाति ब्राहम्ण
4. रीना पत्नी श्री रामावतार आयु 37 वर्ष जाति ब्राहम्ण
5. संदीप शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा आयु 33 वर्ष जाति ब्राहम्ण
6. अनिता शर्मा पुत्र श्री संदीप शर्मा आयु 31 वर्ष जाति ब्राहम्ण
7. विजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा आयु 30 वर्ष जाति ब्राहम्ण
8. दिव्या शर्मा पत्नी श्री विजेन्द्र शर्मा आयु वर्ष जाति ब्राहम्ण

निवासीगण – प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3 सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

दिनांक –5 / 12 / 2024

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र)

उपस्थित–

1 श्री मोहम्मद अकरम प्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 जो कि वरिष्ठ नागरिक है तथा उन्होने अपने स्वयं की अर्जित आय से एक सम्पत्ति जो कि प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3 सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक कोटा राज0 पर बनाई थी तथा प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 की एक पुत्री रीना शर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द्र शर्मा आयु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

कोटा

ा ब्राहम्ण निवासी प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3 सरस्वती कॉलोनी, खेड़ली फाटक, कोटा अविवाहित है तथा प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के साथ ही इसी मकान में निवास कर रही ी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थीगण 1 व 2 की ही है तथा रीना शर्मा प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 न प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3 सरस्वती कॉलोनी खेडली फाटक, कोटा राज0 पर ही निवास ही है जिसका स्वामित्व प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 का है और जिस पर किसी प्रकार का कोई कार अप्रार्थीगण का नही है परन्तु चूंकि अप्रार्थी क्रम 1, 3, 5, 7 प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के र्गिक पुत्र है इस कारण वह जन्म से ही प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के साथ विसा कर रहे है रन्तु जब अप्रार्थी क्रम 1, 3, 5, 7 का विवाह अप्रार्थिया क्रम 2, 4, 6, 8 के साथ किया तब से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करने लगे है तथा प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करने लगे तथा सभी अप्रार्थीगण प्राथीगण को उनकी स्वयं की सम्पत्ति से बाहर निकलना चाहते है और इसी क्रम में अप्रार्थीगण ने सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके साथ काफी अपमानजनक व्यवहार किया। यही नही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेवजह परेशान किया हुआ है और अप्रार्थीगण के इन कृत्यो से प्रार्थीगण को इस उम्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। सभी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को लगातार प्रताडित कर रखा है तथा वह प्रार्थीगण का कोई भी कार्य नही करते ह ैना ही अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को खाना देते, वरन् इन सभी के विपरीत जो भी सामान आवश्यक होता उन सभी सामानों को जबरन ले जाते प्रार्थीगण बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि किसी प्रकार का कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है चूंकि अप्रार्थीगण आपस में मिले हुये है और इसी कारण अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करते हुये कई मर्तबा प्रार्थीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा करते हुये गाली–गलौच कर मारपीट करने पर आमादा भी हो गये जिससे प्रार्थीगण को काफी चोट भी आई और इसी क्रम में अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिली भगर एवं सांठ–गांठ कर प्रार्थीगण को लगातार परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ गाली–गलौच कर उन्हे जान से मारने की धमकी देते और कहते है कि हम तुम्हे जान से मार देंगे और अस सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अपना कब्जा कर लेंगे और इन समस्त बातो के पश्चात भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान में साथ–साथ निवास कर रहे है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित करता है कि अप्रार्थीगण ने एक सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रच रहे है और चूंकि अप्रार्थी क्रम 1, 3, 5, 7 प्रार्थीगण के पुत्र है और वह पूरी तरह से अप्रार्थीया क्रम 2, 4, 6, 8 के दबाव में है और वह कोई भी अनहोनी घटना भी अप्रार्थिया क्रम 2, 4, 6, 8 के साथ मिलकर कर सकते है औन इन समस्त तथ्यों से प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई भी कृत्य कर सकते है यहां तक कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से जान व माल का खतरा है और इस कारण प्रार्थीगण अपने ही मकान में अप्रार्थीगण की वजह से सुरक्षित नहीं है। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण अपना जीवन स्वतंत्र रूप से नही जी पा रहे है और जिसके कारण यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे वाले मकान से निकलवाया जाना चाहिए और इस हेतु उन्हे निकलवाये जाने के बाद प्रार्थीगण अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सकेंगे। प्रार्थीगण यदि बीमारी के कारण कभी खाना नही बना पाते तो उन्हे अप्रार्थीगण के द्वारा खाना भी नही दिया जाता और ना ही कोई अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को खर्चे हेतु कोई राशि ही देते है तथा कोई भी अप्रार्थी नल का बिल भी नहीं देता है। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण ने कई मर्तबा अपने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रिहायश प्रखण्ड मार्ग रोड नं0 3, सरस्वती कॉलोनी खेडली फाटक, कोटा राज0 अन्यत्र स्थान पर निवास किये जाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण कतई भी प्रार्थीगण वाला मकान छोड़ने को तैयार नही है तथा उनके द्वारा आये दिन प्रार्थीगण को व मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। इस हेतु अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण का खाली करवाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के रिहायश व स्वामित्व वाले मकान से निकलवाये जाने बाबत् आदेश पारित किया जाना चाहिए जिससे प्रार्थीगण अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। साथ ही जीवन यापन हेतु उचित खर्चा भरण–पोषण दिलवाया जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये परंतु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थीगण को उपरवर्णित मकान से बेदखल किये जाने, प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति मकान के उपयोग–उपभोग में अड़चन पैदा नहीं करने, लड़ाई झगड़ा नही हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद एवं बेदखल करने का निवेदन किया गया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी को पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करने के बजाय प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। अतः प्रार्थी को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरष्ठि नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को प्रखण्ड मार्ग प्लाट नं0 3 सरस्वती कॉलोनी, खेडली फाटक, कोटा राज0 से बेदखल किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 4/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★